

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/2022/ 1504  
दिनांक: 19.07.22

सेवा में,

प्रबन्धक,  
रमापति वैद्य महिला डिग्री कालेज,  
सौम्मरवारी, धनेशपुर, गाजीपुर।

**विषय:-** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-27.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 19.11.2020 के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पद नाम
1	डॉ० अर्चना तिवारी आधार नं०-625625527381	श्री रामनगीना तिवारी	01.01.1989	एम०ए०, पी०-एच०डी०	प्राचार्य

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय  
  
कुलसचिव

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

सहा० कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्यद्धता/2020/ 2600  
दिनांक :

05-10-20

सेवा में,

प्रबन्धक,  
रमापति बौध महिला डिग्री कालेज  
सोमरवारी, धनेशपुर,  
गाजीपुर।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-27.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 19.11.2020 के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अम्बर्थी का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अम्बर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय
1	डॉ० संगीता हेमकर आधार नं०-64092597760	श्री शिवाजी हेमकर	14.12.1987	एम०ए०, पी०एच०डी०	समाजशास्त्र
2	डॉ० जगदीश कुमार आधार नं०-81864400073	श्री बेचन राम	15.07.1986	एम०ए०, पी०एच०डी०	भूगोल
3	डॉ० विनोद भारद्वाज आधार नं०-763990887642	श्री वकील भारद्वाज	07.07.1989	एम०ए०, पी०एच०डी०	हिन्दी
4	डॉ० अजय कुमार राम आधार नं०-245528253864	श्री रामाधार राम	12.07.185	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्राचीन इतिहास
5	डॉ० निशीथ सांकृत्यायन आधार नं०-751735139327	श्री जनार्दन पाण्डेय	05.08.1989	एम०ए०, पी०एच०डी०	संस्कृत
6	डॉ० मनीषा यादव आधार नं०-253917004166	श्री कोमल यादव	15.05.1989	एम०ए०, पी०एच०डी०	गृहविज्ञान

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अम्बर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्द्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।  
नोट-शिक्षाशास्त्र विषय में चयनित अम्बर्थी डॉ० तेजबहादुर तिवारी के चयन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण चयन निरस्त किया जाता है।

सहा० कुलसचिव,

05/10/2020  
सहा० कुलसचिव